प्रादि सं 355 01 5.6.09

संख्या-1375/सात-न्याय-2-09-227जी/08

प्रेषक,

श्री एस0 एम0 ए0 आब्दी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-2(अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2009

विषय:- रिट पिटीशन (सी) संख्या-1022/1989: आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-2008 सपठित आदेश दिनांक 15-7-2008 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्धशासकीय पत्रांक 12957/वीई-60/एडमिन डी दिनांक 14-10-2008 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-2071/सात-न्याय-2-132जी/08, दिनांक 29-5-2008 एवं शासनादेश संख्या-3565 व 3566/सात-न्याय-2-08-132जी/08, दिनांक 17-10-2008 तथा शासनादेश संख्या-3568/सात-न्याय-2-08-227जी/08 दिनांक 18-10-08 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट पिटीशन (सी)संख्या-1022/1989: आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-2008 सपठित आदेश दिनांक 15-7-2008 के अनुपालन में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी

-2-

विभिन्न संस्तुतियों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त अधोअंकित तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार अस्थायी पदों को, यदि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जायें, दिनांक 28-2-2010 तक के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1-	स्टेनोग्राफर ग्रेड-I (पूर्व पदनाम वैयक्तिक सहायक)	48 (अड़तालिस)	वेतन बैंड-2 (9300-34800) ग्रेडवेतन-4600
2-	इक्जीक्यूटिव असिस्टेंट (प्रत्येक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ वैयक्तिक सहायक के रूप में सम्बद्ध)	70 (सत्तर)	वेतन बैंड -2 (9300-34800) ग्रेड वेतन -4600

2- उक्त पदों को कार्मिक विभाग के वर्तमान शासनादेशों के अनुसार भरा जायेगा।

3- उपर्युक्त पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई व अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

4- उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1002/दस-2009, दिनांक 11-5-2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(एस0 एम0 ए0 आब्दी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1375(1)/सात-न्याय-2-09, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 तीन-तीन प्रतियों में।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)1/2 तथा आडिट-1/2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय विधि प्रकोष्ठक, बी0सी0आई0 भवन, 21 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली।
6- श्री शैलेश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
8- न्याय अनुभाग-8 (बजट)
9- गार्ड बुक हेतु।
10- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(डा0 गोकुलेश)
विशेष सचिव।

अवलोकित, अनुपालन हेतु प्रतिलिपि वतन अनुभाग को दी जाये एवं सम्बन्धित गार्ड फाइल में रखा जाय।

5/6/09

जिला न्यायाधीश
5.6.09